रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08052026-272331
CG-TL-E-08052026-272331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2191]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 2191]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

गुंटूर, 4 मई, 2026

का.आ .2282(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले के सत्तेनपल्ली मंडल के सत्तेनपल्ली एवं रेड्डीगुडेम ग्रामों के मध्य स्थित समपार संख्या 40 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण हेतु। (आरओबी), अर्थात् “विशेष रेलवे परियोजना” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उपधारा- (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, सत्तेनपल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल

अधिकारी, सत्तेनपल्ली आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा- (ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण :आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले के सत्तेनपल्ली मंडल के सत्तेनपल्ली एवं रेड्डीगुडेम ग्रामों के मध्य स्थित समपार संख्या 40 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण हेतु।

क्र.सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे लं. एवं उप मंडल	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयरमें	भूमी का वर्गीकरण (पट्टा/ सरकारी/ आवंटित)	भूमि की प्रकृति (गीली/ सूखी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पलनाडु	सत्तेनपल्ली	सत्तेनपल्ली	56-2	1.50	0.6072	सरकारी भूमी	बंजर
2				58/A - 4	1.20	0.4858	सरकारी भूमी	बंजर
3				59-2	0.10	0.0405	सरकारी भूमी	बंजर
4				60/B-1A	0.50	0.2024	पट्टा भूमी	सूखी
5				61-1	0.25	0.1012	पट्टा भूमी	सूखी
6				79/A-6	0.20	0.0810	पट्टा भूमी	सूखी
7				79/B-1	0.04	0.0162	पट्टा भूमी	सूखी
8				79/B-2	0.40	0.1619	पट्टा भूमी	सूखी
9				80/A	0.10	0.0405	पट्टा भूमी	सूखी
10				80/B	0.20	0.0810	पट्टा भूमी	सूखी
11				385-1	0.05	0.0202	सरकारी भूमी	बंजर
12				385-2	0.36	0.1457	सरकारी भूमी	बंजर
13				385-3	0.17	0.0688	सरकारी भूमी	बंजर
14				386	0.96	0.3886	सरकारी भूमी	बंजर

15				387-1	0.52	0.2105	सरकारी भूमी	बंजर
16				387-2	0.50	0.2024	सरकारी भूमी	बंजर
कुल					**7.05**	**2.8538**	-	-

[फा. सं. GS/Gazette/20A/LC.No.40/GNT-NDKD/GNT]

के.सैमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Guntur, the 4th May, 2026

S.O. 2282(E) —In exercise of Powers conferred by the Sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of level crossing No.40 at KM 42/29-30 between Sattenapalli and Reddygudem Villages of Sattenapalli Mandal in Palnadu District of Andhra Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Sattenapalli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Sattenaplli shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under Sub-section (II) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of land in acquisition: Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of level crossing No.40 between Sattenapalli and Reddygudem Villages of Sattenapalli Mandal in Palnadu District in the state of Andhra Pradesh.

S.No.	Name of the District	Name of the Mandal	Name of the Village	Sy.No. & Sub Division	Area in Acres	Area in Hectars	Classification of Land (Patta/ Govt / Assignment)	Nature of Land (Wet/ Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PALNADU	SATTENAPALLI	SATTENAPALLI	56-2	1.50	0.6072	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
2				58/A - 4	1.20	0.4858	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
3				59-2	0.10	0.0405	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
4				60/B-1A	0.50	0.2024	PATTA LAND	DRY
5				61-1	0.25	0.1012	PATTA LAND	DRY
6				79/A-6	0.20	0.0810	PATTA LAND	DRY

7				79/B-1	0.04	0.0162	PATTA LAND	DRY
8				79/B-2	0.40	0.1619	PATTA LAND	DRY
9				80/A	0.10	0.0405	PATTA LAND	DRY
10				80/B	0.20	0.0810	PATTA LAND	DRY
11				385-1	0.05	0.0202	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
12				385-2	0.36	0.1457	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
13				385-3	0.17	0.0688	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
14				386	0.96	0.3886	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
15				387-1	0.52	0.2105	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
16				387-2	0.50	0.2024	GOVERNMENT LAND	PORAMBOKE
TOTAL					**7.05**	**2.8538**	-	-

[F. No. GS/Gazette/20A/LC.No.40/GNT-NDKD/GNT]

K. SIMON, Chief Project Manager

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.08 18:45:17 +05'30'